न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : श्री राजेश मीना RAS

मुकदमा नम्बर 64/2025

दिनांक दायर 18.03.2025

पारा देवी बनाम बालूराम वगै0

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

प्राथमिक आदेश दिनांक 19.05.2025

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वकील वादीगण ने वादीगण की ओर से दावा बाबत बंटवारा अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीएक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 49 रकबा 13.0200 हैक्टेयर वाके ग्राम गोल पटवार हल्का बोबाडी तहसील जमवारामगढ एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 47 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 48 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.0200 हैक्टेयर वाके ग्राम गोल तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है जिसमे वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार है तथा अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त वादग्रस्त आराजी का विधिक बंटवारा आज तक नहीं हुआ है, लेकिन अब प्रतिवादीगण की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया है और वह पूर्व में मनबट अनुसार किये गये बटवारे को नहीं मानते हुये आये दिन वादी को हेरान परेशान करते है तथा बिना विधिक तकासमा करवायें अपनी भूमि से अधिक भूमि पर अवैध कब्जा करने पर उतारू है तथा वादीगण की कब्जाशुदा उन्नत की गई भूमि पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करना चाहते है तथा कब्जा व बैचान करने पर आमादा है।

अतः वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण तकासमा डिकी किया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 49 रकबा 13.0200 हैक्टेयर वाके ग्राम गोल पटवार हल्का बोबाडी तहसील जमवारामगढ एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 47 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 48 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.0200 हैक्टेयर वाके ग्राम गोल तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके कब्जे अनुसार विभाजन किया जावे इसी अनुसार वादीगण का पर्चा लगान अलग से कायम करवाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 को रजि0 डाक नोटिस भिजवाये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 के विरूध्द एक तरफा कार्यवाही अमल मे लायी गई। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात् पर मनन किया तथा दावा में अंकित तथ्यो का अवलोकन किया। वकील वादी की बहस सुनने व पत्रावली के अवलोकन करने पर हम वादी के वाद को प्राथमिक डिकी किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद प्राथमिक डिकी किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि **माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र कमांक रा.म./न्याय/प–5/2008/विविध/10546 दिनांक 5.10.2020 में दियें गये निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम –18 से 21 के अनुसार** दोनो पक्षो को सूचित करते हुये कृषि भूमि खसरा नम्बर 49 रकबा 13.0200 हैक्टेयर वाके ग्राम गोल पटवार हल्का बोबाडी तहसील जमवारामगढ एवं कृषि भूमि खसरा

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर 47 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 48 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.0200 हैक्टेयर वाके ग्राम गोल तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित हैका वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य दोनों पक्षों को सूचित करते हुये उनकी मौजूदगी में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व कब्जे अनुसार सरस नरस के आधार पर रास्ते को मध्य नजर रखते हुए विभाजन कर अलग–अलग रंग भरकर कुर्रेजात के प्रस्ताव तीन–तीन प्रतियों में तैयार कर पेश करें। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

निर्णय आज दिनांक 19/05/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़, जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18–21)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक), जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : श्री राजेश मीना RAS

मुकदमा नम्बर 64/2025 दिनांक दायर 18.03.2025

पारा देवी बनाम बालूराम वगै0

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 19.05.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री राजेश मीना आर.ए. एस. व हाजिर श्री सत्यपाल गुर्जर वादीगण अधिवक्ता निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि **माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र क्रमांक रा.म. /न्याय/प–5/2008/ विविध/10546 दिनांक 5.10.2020 में दियें गये निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम –18 से 21 के अनुसार** दोनो पक्षो को सूचित करते हुये कृषि भूमि खसरा नम्बर 49 रकबा 13.0200 हैक्टेयर वाके ग्राम गोल पटवार हल्का बोबाडी तहसील जमवारामगढ एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 47 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 48 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.0200 हैक्टेयर वाके ग्राम गोल तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य दोनों पक्षों को सूचित करते हुये उनकी मौजूदगी में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व कब्जे अनुसार सरस नरस के आधार पर रास्ते को मध्य नजर रखते हुए विभाजन कर अलग–अलग रंग भरकर कुर्रेजात के प्रस्ताव तीन–तीन प्रतियों में तैयार कर पेश करें। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेंगें।

डिक्री आज दिनांक 19/05/2025 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जमवारामगढ़, जिला जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान			खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत			मुत		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जमवारामगढ़, जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner